[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 04/2023-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2023

सा.का.नि......(अ).– केन्द्रीय सरकार,वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 10 केसाथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, जो सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(I). परन्तुकमें "और 52" शब्द और अंक के स्थान पर "52, 54, 55, 56 और 59" अंकों और शब्दों को रखा जाएगा;

(II). सारणी में,-

(1) क्रम सं. 1 के सामने,स्तंभ (2) में,-

(i) "0802 99 00" अंकों के स्थान पर "0802 99 00 (भिदुरकाष्ठ/पेकान फल के सिवाय)" अंक,कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "6802 92 00" अंकों के पश्चात् "7106, 7108, 7117, 8712 00 10" अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(2) क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांकों और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)
"54.	(क) रेडियम; (ख)अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, से संलग्न सारणी के (i) क्रम सं. 415क; (ii) स्तंभ (3), क्रम सं. 415 की मद (क);

	के अधीन आने वाले मालों और के अलावा शीर्ष 7110 के अंतर्गत आने वाला समस्त माल ।
55.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 कीसारणी के क्रम सं. 356, 357 और 364गके अंतर्गत आने वाले मालोंके अलावा शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाला समस्त माल ।
56.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 356 और 357के अंतर्गत आने वाले मालों के अलावा शीर्ष7114 के अंतर्गत आने वाला समस्त माल ।
57.	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, से संलग्न सारणी के (i) स्तंभ (3), क्रम सं.526 की मद (1) की उपमद (ख); (ii)स्तंभ (3), क्रम सं. 526 की मद (2) की उपमद (ख); (iii) स्तंभ (3), क्रम सं. 526क की मद (1) की उपमद (ख); (iv) स्तंभ (3), क्रम सं. 526क की मद (2) की उपमद (ख); के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 8703 के अधीन आने वाला समस्त माल ।
58.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 543क के अधीन आने वाले सभी माल ।
59.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 591 के अधीन आने वाले मालों के अलावा शीर्ष 9503 के अधीन आने वाला समस्त माल।"।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवरसचिव, भारत सरकार

टिप्पण -मूल अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 सं. सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3,

उपखंड(i)में प्रकाशित की गई थीऔर अधिसूचना सं. 24/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो सं. सा.का.नि. 327(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित की गई थी ।